








प्रायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं०:- 53 / 2019

तारीखरजु:- 17.6.19

उनवान:- रामरूप बनाम रामबाबू वगै०

~~इस्तखरपहू~~
दावा वावत सकसमा, स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
19	<p>इस्तखरपहू वादी की ओर से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने दावा वावत सकसमा, स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 11.7.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
11.7.19	<p>वादी वकील उप०/प्रतिवादी नं. 1 ता. 11 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 12, 13 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वाले जबाबदावा पेश करने दिनांक 17.7.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
17.7.19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 22.7.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
22.7.19	<p>वकुलाय उप०/जबाबदावा पेश करने दिनांक 30.7.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
30.7.19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी बाहर पधारे है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 21.8.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
1.8.19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी करौली पधारे है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 4.9.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
1.9.19	<p>वकुलाय उप०/प्रतिवादी वकील ने जबाबदावा पेश किया। जबाब की प्रति वादी वकील ने प्राप्त की। लनकी कायम करने दिनांक 25.9.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>

2045-60
17.6.19

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
25-9-19	वकूलाय उप०/ तनकी कायम करने दिनांक 4-10-19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
4-10-19	वकूलाय उप०/ गतानुसार तनकी कायम करने दि० 17-10-19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
17-10-19	वकूलाय उप०/ अन्य उ० करण के साथ दिनांक 7-11-19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
7-11-19	वकूलाय उप०/ गतानुसार दिनांक 27-11-19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
27-11-19	वकूलाय उप०/ गतानुसार दि० 11-12-19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
11-12-19	वकूलाय उप०/ गतानुसार दिनांक 19-12-19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
19-12-19	वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी पत्रावली से क्रोधी पधो है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 20-1-20 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
20-1-20	वकूलाय उप०/ तनकी कायम करने दिनांक 3-2-20 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
3-2-20	वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो। <i>[Signature]</i>
5-2-20	वकूलाय उप०/ तनकी कायम करने दिनांक 5-3-20 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
5-3-20	वकूलाय उप०/ प्रतिवादी वकील ने दस्तावेज पेश किये जिन्हें शास्त्रि निया गया। तनकी स्पष्ट की जाती है बाकी साथ पेश करने दिनांक 9-4-20 को पेश हो। <i>[Signature]</i>

गायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्त अहकाम

17-9-20 अनरल पेशी से पेशा हुआ
करीबी कमीशन / वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी: दुर्गा प्रसाद प्रसाद ए
पत्रावली गतानुसार दिनांक... 22.11.20...
को पेश हो ए

25.10.20
वकीलनायक (पक्ष) वादी साक्ष्य पेश करने समय याद
वादी वकील को हिदायत की जाती है कि आगामी
सुनवाई तिथी पर वादी साक्ष्य पेश करें। वादी
साक्ष्य पेश करने दिनांक 26.11.20 को पेश हो।
ए

26.11.20
करीबी कमीशन / वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी: दुर्गा प्रसाद प्रसाद ए
पत्रावली गतानुसार दिनांक... 2.11.20...
को पेश हो। ए

7-1-21
पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं है,
प्रतिवादी वकील उपस्थित। कई बार कलक आवाज
दिलेवाई गई फिर भी वादी वकील एवं वादीगणों से
कोई भी उपस्थित नहीं है अतः यह दस्ता अदम हाजिरी
एवं अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
केसल सुगार होकर बन्द होकर दिनांक 2 फरवरी 2021
हो। ए

(दुर्गा प्रसाद प्रसाद)
उपकरण अधिकारी टोडाभीम
जिला-करीली